

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।

पत्रांक/क0गां0बा0आ0वि0/एस0एस0ए0/

/2015-16

दिनांक- 31-08-2015

संशोधित विज्ञप्ति

सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक के0जी0बी0वी0/ 3-2/ 1554/ 2015-16 दिनांक 30 जून 2015 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद के 02 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (बडौत, छपरौली) में रिक्त पदों पर संविदा पर कार्य करने के इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से दिनांक 06 अगस्त 2015 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत निकट कलक्ट्रेट बागपत में प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 25.08.2015 थी। पूर्व में दिये गये विषयवार पदों एवं नियम एवं शर्तों को पूर्ववत् रखते हुये आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 15.09.2015 तक बढ़ायी जाती है। आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ 500/- पांच सौ: रूपयों का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत के नाम संगलन करना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
नोट- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्तियों से सम्बन्धित दिशा निर्देश/ विवरण जनपद की वेब साईट www.baghat.nic.in पर देखे जा सकते हैं।


(डॉ0एम0पी0सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ0सं0/क0गां0बा0आ0वि0/एस0एस0ए0/ 2881-84 / 2015-16 तद् दिनांक-
प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य विकास अधिकारी बागपत।
03. जिला विज्ञान सूचना अधिकारी, बागपत को इस आशय से कि दी गयी विज्ञप्ति नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को जनपद की वेबसाईट पर डाउन लोड करने का कष्ट करें।
04. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम अंक एवं शासकीय दरो पर प्रकाशित कर बिल तीन प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।




31.08.15
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।

पत्रांक/क0गां0बा0आ0वि0/एस0एस0ए0/

/2015-16
विज्ञप्ति

दिनांक-

सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक के0जी0बी0वी0/ 3-2/ 1554/ 2015-16 दिनांक 30 जून 2015 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद के 02 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (बडीत, छपरौली) में रिक्त पदों पर संविदा पर कार्य करने के इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत निकट कलक्ट्रेट बागपत में दिनांक 25.08.2015 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

रिक्तियों एवं आरक्षित पदों का विवरण

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	पद का नाम	पद का प्रकार	रिक्त पदों की संख्या	जाति	शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रतिमाह
01	02	03	04	05	06	07	
01.	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बडीत	वॉर्डन (गणित) शिक्षिका	पूर्णकालिक	01	सामान्य	उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं सम्बन्धित विषय में प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।	25000.00
02.		संगीत कला एवं काप्ट शिक्षिका	पूर्णकालिक	01	सामान्य	शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि तथा ग्रह विज्ञान के शिक्षक का पद कला काप्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।	20000.00
		लेखाकार	पूर्णकालिक	01	अन्य पिछडा वर्ग	शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का करने का ज्ञान, डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष ओ0 लेवल कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त को बरीयता दी जायेगी।	10000.00
04.	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, छपरौली	गणित शिक्षिका	अंशकालिक	01	सामान्य	उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं सम्बन्धित विषय में प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षित उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।	5000.00
05.		कम्प्यूटर शिक्षिका	अंशकालिक	01	अनुसूचित जाति	प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है, प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है, इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0, डी0सी0एम0/ बी0सी0ए0/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल/ ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।	5000.00

नोट- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्तियों से सम्बन्धित दिशा निर्देश/ विवरण जनपद की वेब साईट www.baghat.nic.in पर देखे जा सकते हैं।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पू0सं0/क0गां0बा0आ0वि0/एस0एस0ए0/

/ 2015-16

तद दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- मुख्य विकास अधिकारी बागपत।
- जिला विज्ञान सूचना अधिकारी, बागपत को इस आशय से कि दी गयी विज्ञप्ति नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को जनपद की वेबसाईट पर डाउन लोड करने का कष्ट करें।
- सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र..... एवं..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम अंक एवं शासकीय दरो पर प्रकाशित कर बिल तीन प्रतियों में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

आवेदन पत्र प्रारूप

आवेदन पत्र अभ्यर्थी के द्वारा साफ-साफ अक्षरों में भरा जाये, कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार लिखी जायें। क्रमांक 10 एवं 11 से सम्बन्धित कोई शब्दों के सामने ब्लॉक में उलिखित किया जायें।

01. आवेदित विद्यालय का नाम
02. आवेदित पद का नाम
03. गृह जनपद का नाम
04. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में)
05. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
06. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)
07. आयु (दिनांक 01.08.2015 को) वर्षमाह दिन.....
08. पत्र व्यवहार का पता

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पास पोर्ट साइज का स्वतः प्रमाणित फोटों चिपकायें, हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जायें कि इस हस्ताक्षर का आधा भाग फोटों पर एवं आधा आवेदन पत्र पर हो।

09. टेलीफोन न0 (एस0टी0डी0 कोड सहित) मोबाईल न0
10. जाति आरक्षण कोड सामान्य वर्ग-3, पि0जाति-4, अनु0जाति-5
11. शैक्षिक योग्यताओं का क्रमवार विवरण:-

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि0वि0 का नाम वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	हाईस्कूल					
02	इण्टरमीडिएट					
03	स्नातक					
04	बी0एड0					
05	टी0ई0टी0 उच्च प्राथमिक					
07	अन्य					

12. अनुभव (सम्बन्धित पद का)

मैं एकद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जॉचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है। आवेदन पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद कोई भी प्रमाण-पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने पर उसको अमान्य करने व विज्ञापित की शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाये।

दिनांक

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम व हस्ताक्षर तिथि सहित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

नियम एवं शर्तें—

01. अभ्यर्थी की आयु 01 अगस्त 2015 को वॉर्डन हेतु न्यूनतम 30 तथा शेष पदों के लिये 25 वर्ष होगी तथा सभी पदों हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
02. उपरोक्त सभी पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित हैं।
03. उपरोक्त समस्त पद संविदा पर आधारित होंगे तथा विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिये किया जायेगा, यदि कार्यरत वॉर्डन/शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक पाया जाता है, तो अगले सत्र के लिये उनकी संविदा का जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीनीकरण किया जायेगा।
04. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा स्व० प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
05. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को 500 रु० का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत" के नाम संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदित पद का नाम विषय सहित एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विकास खण्ड जिसके लिए आवेदन किया है, आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपर लाल पेन से अंकित करना अनिवार्य है।
06. एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने हेतु अलग से बैंक ड्राफ्ट तथा अलग से आवेदन करना होगा।
07. दो लिफाफों पर 25-25 रूपयें के डाक टिकट लगाकर स्वयं का पूर्ण पता लिखें तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।
08. अपूर्ण अपटनीय, आवेदन पत्र आरक्षित पद के अनुसार न होने पर स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
09. प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित मैरिट के आधार पर प्रत्येक पद के लिये वरीयता क्रम में 05-05 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
10. जनपदीय समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा। निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
11. उक्त चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जनपदीय समिति का होगा।
12. चयनित विषय के अतिरिक्त योग्यता के आधार पर अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य लिये जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निहित होगा।
13. वॉर्डन, पूर्णकालिक शिक्षिका/लेखाकार को विद्यालय में ही निवास करना होगा, किन्तु परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में निवास की अनुमति नहीं होगी।